

मुरगांव पत्तन न्यास  
वित्त विभाग

संदर्भ स. एफडी/सीए/पी.3/2017/ 790

दिनांक : 05/10/2017

परिपत्र

विषय: अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 तक की अवधि  
के लिए डी.ए. की तिमाही संशोधित प्रतिशत

In pursuance of Ministry's letters no. A-29018/5/2006-PEI dated 26<sup>th</sup> July, 2010, A-29018/5/2006-PEI dated 18/02/2011 and Memorandum of Settlement dated 19/01/2010 & 25/10/2013, the rate of Dearness Allowance payable to the Class I, II, III & IV employees from अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 based on the increase/decrease in AICPI quarterly index average of 126/198 to which the revised scales of pay are related, is given here below:

श्रेणी Class	अवधि Period		तैमासिक औसत प्वाइंट्स Three monthly average points	डी.ए. के लिए गणना किए जानेवाले प्वाइंट्सों की कुलसंख्या Total No. of points to be counted for D.A	100% न्यूट्रिलाईजेशन डी.ए. की % % of D.A. on 100% neutralization
	From	To			
प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी Class I & II Officers	01/10/2017	31/12/2017	283	157	124.60%
तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारि Class III & IV employees	01/10/2017	31/12/2017	283	85	42.93%

- डी.ए. की उपरोक्त दरें पेन्शनरों/परिवार पेन्शनरों को एआईसीपीआई 126/198 पर लागू होंगी।  
The above rates of D.A. are also applicable to pensioners/family pensioners on AICPI 126/198.
- यह अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This issues with the approval of the Chairman.

31/10/17  
वित्तिय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/ एमपीटी

प्रतिलिपि:-

- 1) अध्यक्ष के पटल हेतु
- 2) उपाध्यक्ष के पटल हेतु
- 3) आरएपी/एमपीटी
- 4) सहायक निदेशक ( ईडीपी)/एमपीटी
- 5) सूचना पट्ट
- 6) सहायक प्रबंधक (ईडीपी) ... for website